जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः—जविप्रा / अ.आ / एल.पी.सी. / 17 / डी— 632 दिनांकः— 22-8-17

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **137वीं बैठक** दिनांकः **22.08.2017 को अपराह्न 04.00 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :—

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		137:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 136वीं बैठक दिनांक 28.07.17 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 118वीं से 136वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 136वीं बैठक दिनांक 28.07.17 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 118 से 136 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा अवशष अनुपालना रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुये त्वरित पालना करने के निर्देश दिये गये।
2.	11	137:2	ग्राम पंचायत नेवटा तहसील सांगानेर को ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1391 में से 5000 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित/सेट अपार्ट करने बाबत।	उपायुक्त जोन—11 द्वारा ग्राम पंचायत नेवटा तहसील सांगानेर को ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1391 रकबा 9.74 हैक्टेयर किस्म गै.मु. चरागाह में से 5000 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित/सेट अपार्ट करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति—2015 के बिन्दु संख्या 3 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख—रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम नेवटा के खसरा नं. 1391 में से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख—रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। श्मशान हेतु उक्त खसरा नं. में से 2500 वर्गमीटर भूमि एक तरफ इस प्रकार चिन्हित की जावे कि भूमि पर जाने के लिए रास्ता व शेष भूमि का भविष्य में समुचित उपयोग हो सके।
3.	11	137:3	श्री रितेश कुमार सिंघल पुत्र श्री श्याम सुंदर सिंघल को सेज पुनर्वास योजना ग्राम टीलावास के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 1—सी आवंटित क्षेत्रफल 54 वर्गमीटर (कॉर्नर) का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल ९ वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन—11 द्वारा श्री रितेश कुमार सिंघल पुत्र श्री श्याम सुंदर सिंघल को सेज पुनर्वास योजना ग्राम टीलावास के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 1—सी क्षेत्रफल 54 वर्गमीटर (कॉर्नर) का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 9 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। उपायुक्त ने बताया कि अनुमोदित मानचित्र अनुसार ब्लॉक में सृजित भूखण्डों की नाप 6 X 9 = 54 वर्गमीटर है, परन्तु उक्त भूखण्ड कॉर्नर का होने के कारण अनुमोदित क्षेत्रफल से मौके पर बढा हुआ है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 में सेज योजना के कॉर्नर भूखण्डों में बढा हुआ क्षेत्रफल होने पर आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.10.13 के क्रम में भूखण्ड संख्या 1—सी में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर योजना की वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

उप. [illegible] (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

4.	11	137:4	श्री राघव खण्डेलवाल पुत्र श्री संदीप खण्डेलवाल को सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस–255 आवंटित क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 15.47 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्री राघव खण्डेलवाल पुत्र श्री संदीप खण्डेलवाल को सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस–255 क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 15.47 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त ने बताया कि अनुमोदित मानचित्र अनुसार ब्लॉक में सृजित भूखण्डों की नाप 20 X 40 = 800 वर्गमीटर है तथा उक्त भूखण्ड गोलाकार ब्लॉक में सृजित है, इस कारण मौके पर भूखण्ड की नाप बढ़ रही है। सेज पुनर्वास योजना के नॉन कॉर्नर भूखण्डों में बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में कोई निर्देश नहीं है। अतः नॉन कॉर्नर भूखण्डों में भी कॉर्नर भूखण्डों की भांति कार्यवाही किया जाना उचित मानते हुये समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या एस–255 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 15.47 वर्गमीटर योजना की वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
5.	11	137:5	श्री सुनील पारीक पुत्र श्री रामगोपाल पारीक को सेज पुनर्वास योजना ग्राम झांई के आवासीय भूखण्ड संख्या ए–551–सी आवंटित क्षेत्रफल 240 (कॉर्नर) वर्गमीटर का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्री सुनील पारीक पुत्र श्री रामगोपाल पारीक को सेज पुनर्वास योजना ग्राम झांई के आवासीय भूखण्ड संख्या ए–551–सी क्षेत्रफल 240 वर्गमीटर (कॉर्नर) का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त ने बताया कि अनुमोदित मानचित्र अनुसार ब्लॉक में सृजित भूखण्डों की नाप 12 X 20 = 240 वर्गमीटर है, परन्तु उक्त भूखण्ड कॉर्नर का होने के कारण अनुमोदित क्षेत्रफल से मौके पर बढा हुआ है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण कर जो दो कॉर्नर भूखण्डों में प्रत्येक में बढा हुआ 120 वर्गमीटर भूमि का नवीन भूखण्ड सृजित करने की संभावना तलाश कर उपयुक्त पाये जाने पर आगामी एलपीसी की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु उपायुक्त को निर्देशित किया।
6.	11	137:6	श्रीमती पुष्पा गोयल पत्नी श्री मुन्नालाल गोयल को सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 593 व सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 61 में बढे हुये क्षेत्रफलों के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्रीमती पुष्पा गोयल पत्नी श्री मुन्नालाल गोयल को सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 61 क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 40 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त ने बताया कि अनुमोदित मानचित्र अनुसार ब्लॉक में सृजित भूखण्डों की नाप 20 X 40 = 800 वर्गमीटर है तथा उक्त भूखण्ड गोलाकार ब्लॉक में सृजित है, इस कारण मौके पर भूखण्ड की नाप बढ़ रही है। सेज पुनर्वास योजना के नॉन कॉर्नर भूखण्डों में बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में कोई निर्देश नहीं है। अतः नॉन कॉर्नर भूखण्डों में भी कॉर्नर भूखण्डों की भांति कार्यवाही किया जाना उचित मानते हुये समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 61 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 40 वर्गमीटर योजना की वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त (एल.पी.सी.)
विकास प्राधिकरण, जयपुर

				उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्रीमती पुष्पा गोयल पत्नी श्री मुन्नालाल गोयल को सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 593 क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 100.03 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त ने बताया कि अनुमोदित मानचित्र अनुसार ब्लॉक में सृजित भूखण्डों की नाप 36 X 34.75 = 1250 वर्गमीटर है तथा उक्त भूखण्ड खसरा सीमा पर स्थित होने के कारण उक्त भूखण्ड की लम्बाई में अन्तर है। इस कारण मौके पर भूखण्ड की नाप बढ़ रही है। सेज पुनर्वास योजना के नॉन कॉर्नर भूखण्डों में बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में कोई निर्देश नहीं है। अतः नॉन कॉर्नर भूखण्डों में भी कॉर्नर भूखण्डों की भांति कार्यवाही किया जाना उचित मानते हुये समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 593 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 100.03 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
7.	11	137:7	मैसर्स गैलेक्सी लैण्ड कॉन प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री दोलत डागा को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा के आवासीय भूखण्ड संख्या 569 क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर (नॉन कॉर्नर) के माननीय न्यायालय में विचाराधीन वाद से प्रभावित होने के कारण अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा मैसर्स गैलेक्सी लैण्ड कॉन प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री दोलत डागा को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा के आवासीय भूखण्ड संख्या 569 क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर (नॉन कॉर्नर) का आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड माननीय न्यायालय में विचाराधीन माथुर हॉस्पिटल से संबंधित वाद संख्या 2740/2007 पियूष गोयल बनाम राजस्थान से प्रभावित है तथा स्थगन प्रभावी है। आवेदक द्वारा अन्य भूखण्ड दिये जाने हेतु निवेदन किया गया है। उपायुक्त द्वारा उक्त भूखण्ड के स्थान पर ग्राम भम्भोरिया/बगरूखुर्द में समान स्थिति का आवासीय भूखण्ड संख्या 12 क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर रिक्त होना बताकर विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण न्यायालय में किस स्तर पर लम्बित है, यदि स्थगन आदेश है तो, उसे Vacate कराने की कार्यवाही की जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।
8.	11	137:8	श्रीमती पूजा शर्मा पत्नी श्री सिद्धार्थ शर्मा को सेज पुनर्वास योजना ग्राम टीलावास के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 502 आवंटित क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्रीमती पूजा शर्मा पत्नी श्री सिद्धार्थ शर्मा को सेज पुनर्वास योजना ग्राम टीलावास के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 502 क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 9 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। सेज पुनर्वास योजना के नॉन कॉर्नर भूखण्डों में बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में कोई निर्देश नहीं है। अतः नॉन कॉर्नर भूखण्डों में भी कॉर्नर भूखण्डों की भांति कार्यवाही किया जाना उचित मानते हुये समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 502 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर योजना की वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
9.	11	137:9	श्रीमती किरण शर्मा पत्नी श्री प्रेमकुमार शर्मा को सेज पुनर्वास योजना ग्राम नृसिंहपुरा दादिया के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 113 आवंटित	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्रीमती किरण शर्मा पत्नी श्री प्रेमकुमार शर्मा को सेज पुनर्वास योजना ग्राम नृसिंहपुरा दादिया के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 113 क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 35 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर

(एस.पी.सी.)
प्राधिकरण, जयपुर

			क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 35 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त ने बताया कि अनुमोदित मानचित्र अनुसार ब्लॉक में सृजित भूखण्डों की नाप 10 X 20 = 200 वर्गमीटर है, किन्तु उक्त भूखण्ड खसरा सीमा पर स्थित होने के कारण प्रत्येक भूखण्ड की लम्बाई में अन्तर है। इस कारण से ब्लॉक में स्थित सभी भूखण्डों की नाप मौके पर बढ रही है। सेज पुनर्वास योजना के नॉन कॉर्नर भूखण्डों में बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में कोई निर्देश नहीं है। अतः नॉन कॉर्नर भूखण्डों में भी कॉर्नर भूखण्डों की भांति कार्यवाही किया जाना उचित मानते हुये समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 113 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 35 वर्गमीटर योजना की वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
10.	12	137:10	श्री धर्मेन्द्र पुत्र श्री नोन्दाराम को निजी खातेदारी की आवासीय योजना ग्रीन त्रिवेणी में ई.डब्ल्यू.एस. भूखण्ड संख्या 324(सी) का मौके पर क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण ई.डब्ल्यू. एस. श्रेणी से एल.आई.जी. श्रेणी का होने से बढे हुये क्षेत्रफल की राशि ली जाकर भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि श्री धर्मेन्द्र पुत्र श्री नोन्दाराम को निजी खातेदारी की आवासीय योजना ग्रीन त्रिवेणी में ई.डब्ल्यू. एस. भूखण्ड संख्या 324(सी) क्षेत्रफल 34.48 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। भूखण्ड का मौके पर 13.82 वर्गमीटर क्षेत्रफल बढ़कर 48.30 वर्गमीटर हो जाने से उक्त भूखण्ड ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के स्थान पर एल.आई.जी. श्रेणी का हो गया। उपायुक्त द्वारा बढ़े हुये क्षेत्रफल को ई.डब्ल्यू. एस. श्रेणी की आवासीय आरक्षित दर ली जाकर आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण पुनः परीक्षण कर उपयुक्त पाये जाने पर प्रस्ताव आगामी एलपीसी की बैठक में प्रस्तुत करें।
11.	13	137:11	श्रीमती शोभा शारदा को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए–2/479 मौके पर खसरा बाउण्ड्री पर स्थित होने के कारण भूखण्ड का क्षेत्रफल बढ जाने एवं प्रार्थी द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल का भूखण्ड लेने से इन्कार करने पर विनिमय में समान सड़क पर समान क्षेत्रफल 210 वर्गमीटर का भूखण्ड दिये जाने बाबत।	श्रीमती शोभा शारदा को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए–2/479 क्षेत्रफल 210 वर्गमीटर 18 मीटर चौडी रोड पर आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड मौके पर खसरा बाउण्ड्री पर स्थित होने के कारण भूखण्ड का क्षेत्रफल 96.35 वर्गमीटर बढ कर 306.35 वर्गमीटर हो गया है। प्रार्थी द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल का भूखण्ड लेने से इन्कार कर अन्य भूखण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया है। योजना में वर्तमान में 18 मीटर चौडी रोड पर कोई भूखण्ड रिक्त नहीं होने से 20.5 मीटर चौडी सड़क पर स्थित भूखण्ड संख्या ए–3/5ए, ए–3/5बी, ए–3/5सी, ए–3/5डी, ए–3/6, ए–3/6ए, ए–3/6बी, ए–3/6सी, ए–3/6डी, ए–3/7, ए–3/7ए, ए–3/7बी, ए–3/7सी, ए–3/7डी, ए–3/8, ए–3/8ए, ए–3/8बी, ए–3/8सी, ए–3/8डी, ए–3/9, ए–3/9ए, ए–3/9बी, ए–3/9सी, ए–3/9डी, ए–3/12, ए–3/12ए, ए–3/12बी, ए–3/12सी, ए–3/12डी, ए–3/12ई, ए–3/12एफ, ए–3/12जी कुल 32 भूखण्ड में से एक भूखण्ड विनिमय करने हेतु उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या ए–2/479 के स्थान पर समान रोड चौडाई पर भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने से 20.5 मीटर की रोड चौडाई पर समान माप के उपलब्ध 32 नॉन कॉर्नर भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
12.	13	137:12	श्री सन्ता सिंह को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए–2/474 मौके पर खसरा	श्री संता सिंह को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए–2/474 क्षेत्रफल 210 वर्गमीटर 18 मीटर चौडी रोड पर आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड मौके पर खसरा

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			बाउण्ड्री पर स्थित होने के कारण भूखण्ड का क्षेत्रफल बढ़ जाने एवं प्रार्थी द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल का भूखण्ड लेने से इन्कार करने पर विनिमय में समान सड़क पर समान क्षेत्रफल 210 वर्गमीटर का भूखण्ड दिये जाने बाबत।	बाउण्ड्री पर स्थित होने के कारण भूखण्ड गहराई की तरफ बढा हुआ है तथा क्षेत्रफल 216.65 वर्गमीटर बढ कर 426.65 वर्गमीटर हो गया है। प्रार्थी द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल का भूखण्ड लेने से इन्कार कर अन्य भूखण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया है। योजना में वर्तमान में 18 मीटर चौडी रोड पर कोई भूखण्ड रिक्त नहीं होने से 20.5 मीटर चौडी सड़क पर स्थित भूखण्ड संख्या ए–3/5ए, ए–3/5बी, ए–3/5सी, ए–3/5डी, ए–3/6, ए–3/6ए, ए–3/6बी, ए–3/6सी, ए–3/6डी, ए–3/7, ए–3/7ए, ए–3/7बी, ए–3/7सी, ए–3/7डी, ए–3/8, ए–3/8ए, ए–3/8बी, ए–3/8सी, ए–3/8डी, ए–3/9, ए–3/9ए, ए–3/9बी, ए–3/9सी, ए–3/9डी, ए–3/12, ए–3/12ए, ए–3/12बी, ए–3/12सी, ए–3/12डी, ए–3/12ई, ए–3/12एफ, ए–3/12जी कुल 32 भूखण्ड में से एक भूखण्ड विनिमय करने हेतु उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या ए–2/474 के स्थान पर समान रोड चौडाई पर भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने से 20.5 मीटर की रोड चौडाई पर समान माप के उपलब्ध 32 नॉन कॉर्नर भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
13.	13	137:13	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार को राजकीय सावित्री बाई फूले कन्या छात्रावास हेतु राजस्व ग्राम जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ के खसरा नं. 576 रकबा 4–05 बीघा में से 2 एकड भूमि आवंटित करने बाबत।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार को राजकीय सावित्री बाई फूले कन्या छात्रावास हेतु राजस्व ग्राम जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ के खसरा नं. 576 रकबा 4–05 बीघा में से 2 एकड भूमि आवंटित करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के बिन्दु संख्या 1 के अनुसरण में विभाग को ग्राम जमवारामगढ के खसरा नं. 576 में से 1000 वर्गमीटर भूमि राजकीय छात्रावास, जमवारामगढ हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
14.	13	137:14	सरपंच ग्राम पंचायत, लाली को नवसृजित ग्राम पंचायत, लाली को राजस्व ग्राम लाली तहसील जमवारामगढ के खसरा नं. 76 रकबा 1.28 हैक्टेयर किस्म बारानी–I में से रि–प्लानिंग पश्चात् शेष 4939.54 वर्गमीटर भूमि को पंचायत भवन हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत, लाली को नवसृजित ग्राम पंचायत, लाली को राजस्व ग्राम लाली तहसील जमवारामगढ के खसरा नं. 76 रकबा 1.28 हैक्टेयर किस्म बारानी–I में से एलपीसी की 135वीं बैठक के निर्णयानुसार रि–प्लानिंग की जाकर एचटी/एलटी लाईन, नाले का सेफ्टी कॉरिडोर व प्लांटेशन कॉरिडोर की भूमि को छोडने के पश्चात् शेष 4939.54 वर्गमीटर भूमि को पंचायत भवन हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम पंचायत को ग्राम लाली के खसरा नं. 76 में उपलब्ध 4939.54 वर्गमीटर में से आगे की 2500 वर्गमीटर भूमि पंचायत भवन हेतु आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही शेष भूमि अन्य राजकीय कार्यालयों हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। ग्राम पंचायत भवन हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गई है। अतः प्रकरण निर्णयार्थ राज्य सरकार को भिजवाया जावे।
15.	13	137:15	प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल, चौंमू को आबकारी थाने हेतु आवंटित भूमि हेतु जारी पट्टे व साईट प्लान अनुसार मौके पर पूर्ण रूप से कब्जा प्राप्त नहीं होने	एलपीसी की 113वीं बैठक दिनांक 15.01.2015 में प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल, चौमू को आबकारी थाने हेतु जविप्रा की ईकॉ-फ्रेण्डली योजना चौमू में से 2500 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन की गई थी। जिसे राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क आवंटन करने की स्वीकृति प्राप्त हुई। उक्त आवंटित भूमि की

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			के कारण जविप्रा की ईकॉ–फ्रेण्डली योजना चौमू में ही भूखण्ड संख्या 7 में से 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।	लीजडीड दिनांक 02.12.2016 को जारी कर दी गई। आबकारी थाने को जारी साईट प्लान अनुसार भूखण्ड की 30 मीटर चौडाई के स्थान पर मौके अनुसार 300 फीट एनएच व 100 फीट प्लांटेशन कॉरिडोर छोडने के पश्चात् मात्र 14.5 मीटर चौडाई ही प्राप्त होती है। जो भवन निर्माण हेतु उपर्युक्त नहीं है। अतः उपायुक्त द्वारा उक्त योजना में ही उक्त भूखण्ड के स्थान पर भूखण्ड संख्या 7 में से दक्षिण–पूर्वी दिशा में 2500.00 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर आबकारी थाने हेतु पूर्व में आवंटित भूमि के स्थान पर ईकॉ–फ्रेण्डली योजना चौमू के भूखण्ड संख्या 7 में से दक्षिण–पूर्वी दिशा में 2500.00 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। चूंकि पूर्व में निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हुई थी। अतः प्रकरण में पुनः राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।
16.	10	137:16	श्रीमती अनुराधा पत्नी श्री महेन्द्र सिंह को रिंग रोड परियोजना से प्रभावित हुये भूखण्ड के बदले पुनर्वास में दिये गये लक्ष्य विहार योजना के भूखण्ड संख्या 203 (कॉर्नर) के स्थान पर जोन–14 में वाटिका के पास रिंग रोड परियोजना में भूखण्ड आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–10 द्वारा बगराना रिंग रोड परियोजना से प्रभावित हुये खण्डेलवाल वाटिका के भूखण्ड संख्या 140 के बदले प्रार्थिया को लक्ष्य विहार योजना में भूखण्ड संख्या 203 आरक्षित किया गया था, जिसका आरक्षण पत्र जारी किया जा चुका है। प्रार्थिया द्वारा उक्त योजना अविकसित होने के कारण उक्त भूखण्ड के बदले जोन–14 के वाटिका रोड (रिंग रोड) में नया भूखण्ड आवंटन करने का अनुरोध किया है। अतः उपायुक्त जोन–10 द्वारा लक्ष्य विहार योजना के भूखण्ड संख्या 203 के बदले में जोन–14 के क्षेत्राधिकार में वाटिका के पास स्थित रिंग रोड परियोजना में पुनर्वास हेतु ब्लॉक बी में भूखण्ड संख्या 14/आईडी/के–20–25 कुल 6 भूखण्ड प्रत्येक क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि उक्त दोनों योजनाओं की आरक्षित दर के अन्तर की राशि आवंटी से वसूल की जाकर लॉटरी द्वारा एक भूखण्ड विनिमय किया जा सकता है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(9)नविवि/2017 जयपुर, दिनांक 02.08.2017 के अन्तर्गत अन्य योजना में भूमि आवंटन करने के संबंध में स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।
17.	13	137:17	एलपीसी की 134वीं बैठक में ग्राम छापराडी में 33/11 केवी सब स्टेशन के निर्माण हेतु आवंटित ग्राम जैतपुरा खींची के खसरा नं. 940 व 941 कुल रकबा 0.8800 हैक्टेयर में से 5000 वर्गमीटर भूमि की दर के संबंध में निर्णय बाबत।	एलपीसी की 75वीं बैठक में ग्राम छापराडी में 33/11 केवी सब स्टेशन के निर्माण हेतु ग्राम छापराडी तहसील आमेर के खसरा नं. 201 में से 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की गई थी। जिसकी राशि विभाग द्वारा जमा करा दी गई। एलपीसी की 134वीं बैठक दिनांक 31.05.17 में उक्त निर्णय में संशोधन किया जाकर ग्राम जैतपुरा खींची के खसरा नं. 940 व 941 कुल रकबा 0.8800 हैक्टेयर में से 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर यह अवगत कराया है कि एलपीसी की 134वीं बैठक में लिये गये निर्णय में भूमि की दर बाबत नहीं निर्णय लिया गया है। चूंकि प्रकरण में राशि पूर्व में ही जमा है, अतः उसी दर पर आवंटन किया जाना उचित होगा। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण में उसी दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में राशि जमा कराने की दिनांक को प्रचलित आरक्षित दर/डीएलसी दर (जिस पर भी आवंटन किया गया है) से अन्तर राशि विभाग से वसूल की जावे।

(एल.पी.सी.)

विकास प्राधिकरण, जयपुर

आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक में प्रस्तुत निम्नांकित टेबल एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–				
18.	7	137:17(1)	श्री हेमचद जैन पुत्र स्व. श्री इन्दर चन्द जैन को निजी खातेदारी की योजना स्वरूप कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 11, 11–ए, 13 व 14 को क्रमशः 54.23 व.ग., 53.37 व.ग., 44.68 व.ग. व 17.84 व.ग. मौके पर उपलब्ध स्ट्रीप ऑफ लैण्ड भूमि के आवंटन करने हेतु।	उपायुक्त जोन–7 द्वारा श्री हेमचद जैन पुत्र स्व. श्री इन्दर चन्द जैन को निजी खातेदारी की योजना स्वरूप कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 11, 11–ए, 13 व 14 को क्रमशः 54.23 व.ग., 53.37 व.ग., 44.68 व.ग. व 17.84 व.ग. मौके पर उपलब्ध स्ट्रीप ऑफ लैण्ड भूमि के आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट के अनुसार उपरोक्त चारों भूखण्डों में बढ़ रही भूमि का पृथक से कोई स्वतंत्र उपयोग या भूखण्ड सृजित नहीं किया जा सकता है तथा उपरोक्त भूखण्डों की स्ट्रीप ऑफ लैण्ड किसी भी सड़क व सुविधा क्षेत्र का भाग नहीं है। एजेण्डा नोट के कॉलम संख्या 24 व 28 के अनुसार प्रकरण को पूर्व में एलपीसी की 105वीं बैठक दिनांक 25.04.2014 में रखा गया था जिसके प्रस्ताव संख्या 105:7 से 105:10 में प्रकरण मे उक्त स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की भूमि का आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। परन्तु तत्कालीन अध्यक्ष, जविप्रा द्वारा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किये जाने से आवंटन नहीं हो सका। प्रार्थी द्वारा प्रकरण पर पुनः विचार करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण में मौके पर उपलब्ध स्ट्रीप ऑफ लैण्ड को आवंटन योग्य माना है। जिसे राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन किया जाना उचित है। अतः प्रकरण अध्यक्ष, जविप्रा को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
19.	14	137:17(2)	श्रीमती लक्ष्मी कंछल पत्नी स्व. श्री राजकुमार कंछल को मैसर्स रिजेन्सी बिल्डहोम प्रा0लि0 श्यामपुरा बुहारिया वाटिका रोड सहभागिता आवासीय योजना के आवास संख्या सी–2/जीएफ–8 के आवंटन के संबंध में।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि श्रीमती वंदना आहूजा को मैसर्स रिजेन्सी बिल्डहोम प्रा0लि0 श्यामपुरा बुहारिया वाटिका रोड सहभागिता आवासीय योजना का आवास संख्या सी5/जीएफ/5 एमआईजी–ए श्रेणी का आवंटन किया गया था, परन्तु निर्धारित अवधि तक सम्पूर्ण राशि जमा नहीं कराने के कारण आवास का आवंटन निरस्त कर दिया गया। माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकरण, जविप्रा, जयपुर में अपील नं. 592/2016 दायर होने पर आवंटित आवास पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी कर दिया गया। उक्त भूखण्ड लॉटरी में भिजवाने पर श्रीमती लक्ष्मी कंछल को आवंटन हो गया। जिसकी राशि श्रीमती कंछल द्वारा जमा करा दी गई। अतः उपायुक्त जोन–14 द्वारा उक्त आवास सी5/जीएफ/5 एमआईजी–ए श्रेणी पर स्थगन होने से श्रीमती लक्ष्मी कंछल को अन्य आवास संख्या सी–2/जीएफ–8 एमआईजी–ए श्रेणी आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवास संख्या सी5/जीएफ/5 एमआईजी–ए श्रेणी पर माननीय न्यायालय का स्थगन होने से आवास संख्या सी–2/जीएफ–8 एमआईजी–ए श्रेणी का विनिमय करने का निर्णय लिया गया।

बैठक धन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभियांत्रिकी–द्वितीय/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन–1 से 14 व पीआरएन (उत्तर–I/II व दक्षिण–I/II), जविप्रा, जयपुर।
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

(संयुक्त सचिव.पा.सं.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 137वीं बैठक दिनांक 22.08.2017 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री वैभव गालरिया, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री एच. गुईटे, सचिव	सदस्य
3.	श्री एन.सी. माथुर, निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
4.	श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
5.	श्री बृजेश किशोर शर्मा, कार्यवाहक निदेशक (वित्त)	सदस्य
6.	श्री ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
7.	श्री नवल किशोर बैरवा, उपायुक्त जोन–2	विशेष आमंत्रित
8.	डॉ. सत्य प्रकाश कस्वां, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
9.	श्री अशोक कुमार चौधरी, उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित
10.	श्री रामनारायण बडगुर्जर, उपायुक्त जोन–10	विशेष आमंत्रित
11.	श्री देवेन्द्र कुमार जैन, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
12.	श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
13.	श्री बी0 सी0 गंगवाल, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
14.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित
15.	श्री ओम थानवी, तहसीलदार जोन–9	विशेष आमंत्रित
16.	श्रीमती उषा जैन, सलाहकार (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित